

वादी का वाद प्रवृत्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए डेकलेशन दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कपाराम बन्द धीराराम के देहान्त होने पर विरासन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हिस्सा

का बराबर का हिस्सा रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद हिस्से फरमाया वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिष के खातेदार अतः वादी का वाद हिस्से किया जाकर धाषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उत्तक नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को पाने के अधिकारी है।

एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हिस्सा है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी संख्या 3 की भांती ही चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने आपने एक हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 की पुरी है प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुरी है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हिस्सा है।

इसके कारण धाषणा है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी दादा कपाराम बन्द धीराराम के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के उत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

दर्ज थी वादी के दादा कपाराम बन्द धीराराम के देहान्त होने पर वाद विरासन से वाद भूमि उत्तक भूमि पूर्व में वादी के दादा कपाराम बन्द धीराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

की रोही मौजा सांगठिया के खाला संख्या 162/156 के खसरा नं 287/11.4570 है भूमि राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया सक्षम में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक - 18/03/2020

अधिवक्ता श्री नरेश किशोर जोशी अधिवक्ता वादी परीकार राज

राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रतिवादीगण

1. रामेश्वर पुत्र कपाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला
2. भरतसिंह 3. राजबाला पि 0 रामेश्वर जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. राजपाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अनगण :-

वाद सं 0 : 762 सन 2019

धीराराम अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०ए०ए०)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपपत्राधिकारी (राजस्व) नोहर

है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पृथक सम्पत्ति में वादी का एक विरासन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पृथक सम्पत्ति होने साबित बाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कपारम वन्द धीरराम के देहान्त होने के बाद विरासन से धीरराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् बाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कपारम वन्द धीरराम वन्द जगन्दी भू0प्रबन्ध विभा संन्त 2029 से 2038 के अनुसार बाद भूमि कपारम वन्द भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के निस्तारण फरमावे।

पक्षकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादाभाई/पृथक सम्पत्ति का बाद पेश जावे।

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का बाद हिकी फरमाया 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के सम्बन्ध में न्यायाधिक दखलान आर.बी.जे. 1998 पंज 615 एब आरआरडी वर्ष 1998 पंज किया जा चुका है अर्थात् वादी के बाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों वादी के बाद की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 में स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश पाने के अधिकायी है।

एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का एक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया गया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये बाद भूमि वादी संख्या 3 की वादी ही चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।

है जिसके कारण पृथक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी दादा कपारम वन्द धीरराम के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई बाद भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 की वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

दर्ज थी वादी के दादा कपारम वन्द धीरराम के देहान्त होने पर बाद विरासन से बाद भूमि उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कपारम वन्द धीरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है।

287/114570 है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हुए निवेदन किया की रोही मौजा सामुहिया के खाता संख्या 162/156 के खसरा न0 वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने बाद में अंकित तथ्यों को दोहराते नहीं करने के कारण निरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा निरह प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी आवश्यकता गया।

रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सर्तों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार राज ने जबाब ऐतराज नहीं है व अपने कथनों में इकबाला दावा पेश किया गया। इकबाल दावा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद भूमि वादी एवं निवेदन किया की उन्हीने अपने एक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया/पिता वादी एवं हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने

संज्ञा

उपखण्ड अधिकांशी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

22

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 18/3/2020

को भरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में

तरीख तकमील जाबा दाखिल दफतर है।

पवां हिक्की जादी की जाकर शामिल मिसल की गई पुरावती नम्बर से कम की जाकर बाद रिफाई में अकन किया जावे अथ बाद उम्पुष्ठा अपना अपना वहन करे। इसी आशय की स्टम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि मूँस बिक के रहन हो तो बाद रहनपुस्त राजस्व अनुसार राजस्व रिफाई में अकन करने हेतु ईजलास प्रार्थना पुन के सलान 5000/- रु प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातदार कारतदार धारित किया जाता है। इसी 287/2 की 5.7285 हेतु मूँस जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं किया जाकर धारणा की जाती है कि खेही मज्जा सापिधिया के खाना संख्या 192/156 की साक्ष्य सर्तुत एवं न्यायाधिक दख्ताना के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण हिक्की करने एवं प्रकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत अतः वादी के प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार

के कारण राजपुस्तकी की सुरक्षा के मखनजर स्टम्प इवूटी कायम की जानी न्यायाचित है। होने के कारण कबिल हिक्की है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने सर्तुत एवं न्यायाधिक दख्ताना जो प्रकरणा पर बस्था होते है के आधार पर वाद वादी साबित वादी के वाद को प्रतिवादीमण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मिसल किया जा चुका है।

कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल नाम से राजस्व रिफाई में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने इसलिये वाद मूँस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की मूँस है जिसे उनके हिस्सा की मूँस का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक की मूँस का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 स्वय न्यायालय में वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा वाद मूँस में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 बहिब के हकदार है।

हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात

पुर्वा लिफ्टी

(आडर 20, कल 6-7 जाळा दिवानी)
न्यायालय सहितक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवार :-

1. राजपाल पुत्र रामधर जाति जाट निवासी सागाठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामधर पुत्र कपाराम जाति जाट निवासी सागाठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

हनुमानगढ।

2. भरतसिंह 3. राजबाला पि० रामधर जाति जाट साकिन सागाठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

जिला हनुमानगढ

4. राजस्थान सरकार लिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अनर्गत धारा 88, राजस्थान कायदाकाटी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 761 सन 2019 निर्णय दिनांक-18/3/2020

आज यह वाद मुंडा बचत कोषर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं प्रत्येकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

पर वाद वादी साक्ष्य सवर्गी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के

कारण वाद वादी लिफ्टी किया जाकर धोषणा की जाती है वही मौजा सागाठिया के खाता

संख्या 192/156 की 287/2 की 57285 हेतु मुंडा जी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज

है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार कायदाकार धाबित किया जाता

है। इसी अनुसार राजस्व रिफाई में अकन करने हेतु इजाजत प्रार्थना पत्र के सलन

5000/- के स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि मुंडा बैंक के रहन ही तो वाद

रहनमुंडन राजस्व रिफाई में अकन किया जावे अन्य वाद समयपक्ष अपना अपना बदन करेगी।

पुर्वा लिफ्टी आज दिनांक 18/3/2020 को नरे हस्तक्षेप एवं कार्यालय मुंडा से जारी

की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)